19.07.201

अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।

संदिग्ध/अवैध जमाबदी रद्द अभिलेख स0 94 /2018-19

बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h के तहत जॉच एव कार्रवाई से सबधित।

दिनाक	आदेश फलक	अभियुक्ति
18/3/19	झारखड सरकार के ज्ञापाक–2074/रा0 दिनाक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सख्या–3–खा0 म0 निति–119/85/2308/रा0 दिनाक 03.09.1985 एव सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र सख्या–914/रा0 दिनाक 09.12.1998 मे निहित निर्देश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबदियो की जॉच प्रारंभ की गयी। जांच के कम मे हल्का राजस्व उपनिरिक्षक (राजस्व कर्मचारी) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है– मौजा– धैया मौजा न0– 06 खाता न0 196 प्लॉट न0 1254 रकवा 50 डि0 की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबदी उस मौजा के पंजी–।। के जिल्द सख्या 11 के पृष्ठ सख्या 203 पर जमाबदी रैयत श्री0 प्रदि(?) सिंह(?) के नाम से कायम है। हल्का राजस्व उपनिरिक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जाचोपरात उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्व कायम जमाबदी को सदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जॉच प्रतिवेदन से प्रतित होता है कि उपर्युक्त जमाबदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बदोबस्ती के आधार प/अवैध कोडकर बदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उदेश्य निजि लाभ एव राज्य को क्षति कारित करना है। प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वाछनीय प्रतीत होता है। अत– उपरोक्त जॉच प्रतिवेदन पर अचल–निरिक्षक का मंतव्य प्राप्त करे। अभिलेख दिनाक 27/3/19 को रखे। (हस्ताक्षर) 18.3.19 अचल अधिकारी, धनबाद।	

Scanned by CamScanner

24/3/19 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मंतव्य / प्रतिवेदन अप्राप्त है। अभिलेख दिनांक 10/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

10/4/19 अभिलेख उपास्थिपित। अद्योहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य मे व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नही हो सका।
अभिलेख दिनांक 24/4/19 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

10/6/20 अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मंतव्य सहित प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक मे विपक्षी को नोटिस निर्गत करे। अभिलेख दिनांक 20/6/20 को रखे।

अंचल अधिकारी
धनबाद।

20/6/20 अभिलेख उपस्थपित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा [illegible] मौजा न0 86 खाता 196, प्लाट न0 1254, रकवा 50.50 भूमि से संबधित है। आवेदित भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैयत के खोज बीन के उपरान्त पता नही चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आवेदित भूमि ~~दाखिल खारिज~~ Settle केस न0 19 (11) 60-61 के अनुसार कायम है। तत्कालीन अचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को संदेहास्पद माना गया है। जिसे संबधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जॉच प्रतिवेदन के आलोक मे जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।

20.6.20
अचल अधिकारी,
धनबाद।

20.6.20
अचल अधिकारी
धनबाद।

Scanned by CamScanner